

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddu@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांक- 1684 / FP/UK/MIN/147885/2021 दिनांक: देहरादून 13 जनवरी, 2023

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली- पिन- 110003।

विषय:- जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुनर्प्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 30 दिसम्बर 2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30-12-2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1200/12-1 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for the next five years whereas renewal is being sought for 10 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate with the period for which diversion is being sought shall be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1572/FP/UK/MIN/147885/2021/दिनांक 30 सितम्बर 2022 के अनुपालन में कोसी नदी के भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की प्रति नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। Mining Plan की वैधता 18 फरवरी 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्षों की अवधि (19 फरवरी 2028) हेतु नवीनीकृत किया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्षों हेतु ही बनायी जानी निर्दिष्ट है, साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपनी पत्र सं0-औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 सं0-2170/VII-A-1/2021/21ख/13 देहरादून, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 द्वारा खनन पट्टा 18 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षों हेतु (दिनांक 19 फरवरी 2033 तक) नवीनीकृत किया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
2	Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग द्वारा लागत लाभ वि"लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर प्रभाग को उपलब्ध कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3	The State has informed that the DSR report has been prepared only up to 2018. Fresh DSR for the proposed area is required to be submitted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला-नैनीताल) दिनांक 25-07-2018 तक की

2

क्र सं	आपत्ति	प्रतिउत्तर
	for Sand Mining Guidelines- January 2020.	प्रेषित की गई है। वन विकास निगम की पत्र सं०-1319/खनन 2022-23/ दिनांक 20-09-2022 द्वारा खनन विभाग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया था, जिस के क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं०-870/भू०खनि०ई०/खनन ई-खन्ना/ 2022- 23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला-नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है, तथा वर्तमान में यही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
4	The supportive documents in the compliance of the conditions no. (V) of the Stage-II approval dated 15-02-2013 wherein it has been mentioned the "the collection of minor minerals after 31 st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttrakhand constituted vide Government of Uttrakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)/2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the condition stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year, may be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार भारत सरकार की पत्र सं०-8-61/1999-F.C. (Pt.VI) दिनांक-15 फरवरी-2013 के बिन्दु सं०-02(V) के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 14-1/X-3-13-08 (14)2008-T.C. कंजमक 29ण०1ण०2013 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा बिन्दु सं०-02 (V) में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की जाती रही है जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, (MoEF) देहरादून को भी प्रेषित की जाती है, गत वर्षों की अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्य वृत्तों की छायाप्रति कार्य वृत्तों की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगतप्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1684 / FP/UK/MIN/147885/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1200/12-1 दिनांक 11.01.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, खनन प्रभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।

(एस०एस० रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

M. Kumar
अध्यक्ष

9c